



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

## हरिद्वार

पिन कोड—249404

पत्रांक :: 254/17/ई0-2/सं0रा0अ0अधी0से0/2019-20

दिनांक :: 15 दिसम्बर, 2023

### सम्मिलित राज्य (सिविल) अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा—2021

#### साक्षात्कार ज्ञाप

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 'सम्मिलित राज्य (सिविल) अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा—2021' हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या— A-2/E-2/Lower Subordinate/2021 दिनांक 09.08.2021 एवं तत्संबंधी विज्ञप्ति सं0— 245 दिनांक 08.12.2023 के क्रम में साक्षात्कार परीक्षा का आयोजन आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित साक्षात्कार कार्यक्रम के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में **दिनांक 26.12.2023** से प्रारम्भ किया जाना निर्धारित है।

**02.** इस साक्षात्कार ज्ञाप के साथ वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रपत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ साक्षात्कार के दिन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे— (क) चैकलिस्ट (Check List) (ख) विस्तृत आवेदन—पत्र (Detailed Application Form) (प्रपत्र संख्या—02) (ग) प्रमाणीकरण—पत्रक (Attestation Form) (प्रपत्र संख्या—03) (घ) देशना—पत्रक (Index Card) (प्रपत्र संख्या—04)।

**03.** अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को निम्नलिखित मूल अभिलेख / प्रमाण—पत्र व स्व—हस्ताक्षरित छायाप्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। मूल प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा:—

- i. हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण—पत्र।
- ii. इण्टरमीडिएट अंकतालिका एवं प्रमाण—पत्र।
- iii. स्नातक उपाधि एवं अंतिम वर्ष / सेमेस्टर की अंक—तालिका।
- iv. परास्नातक उपाधि एवं अंतिम वर्ष / सेमेस्टर की अंक—तालिका।
- v. अधिमानी अर्हताओं (Preferential Qualification) संबंधी प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो)
- vi. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण—पत्र। (एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0 / ई0डब्लू0एस0)।

- vii. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण—पत्र। (उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/दिव्यांग/उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे)। (यदि लागू हो)
- viii. स्थायी निवास प्रमाण—पत्र, निर्धारित प्रारूप पर। (यदि लागू हो)
- ix. यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में शारीरिक मानक में छूट का दावा किया गया हो, तो दावे के सापेक्ष पर्वतीय क्षेत्र प्रमाणपत्र।
- x. पूर्व सैनिक हेतु डिस्चार्ज प्रमाण पत्र तथा इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) कि अभ्यर्थी पूर्व में पूर्व—सैनिक के आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं किया गया है। (यदि लागू हो)
- xi. अभ्यर्थी यदि किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र। (यदि लागू हो)
- xii. यदि अभ्यर्थी के स्वयं/पिता/माता/पति के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में। (यदि लागू हो)
- xiii. विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (समूह 'ग' पद हेतु) के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित वांछित अर्हता (Required Eligibility) के अंतर्गत (Yes) चयनित किये गये बिन्दु/बिन्दुओं में से किसी एक के समर्थन में पुष्ट प्रमाण—पत्र/अभिलेख।
- xiv. अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु पहचान पत्र यथा—आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस आदि मूल रूप से तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- xv. पासपोर्ट साइज के 04 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ।
- xvi. साक्षात्कार प्रारम्भ होने से पूर्व अभ्यर्थी को साक्षात्कार शुल्क रु0 80.00 (आरक्षित वर्ग से रु0 30.00) जमा करना आवश्यक है।
04. यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु यथावांछित उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक—तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण—पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक—तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण—पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण—पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण—पत्र के स्थान पर दिखाना होगा। प्रोविजनल उपाधि में उल्लिखित अवधि के अनुसार ही वैध माना जाएगा। यदि वैधता की अवधि अंकित नहीं है, तो आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने की तिथि को वैध माना जाएगा।

**05.** एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0 / ई0डब्लू0एस0 आरक्षण एवं क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण—पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि **29.08.2021** तक वैध होना चाहिए। शासनादेश संख्या—310 दिनांक 26.10.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण—पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण—पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी हों।

**06.** विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

**07.** आयोग परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

-sd-

(जी0 एस0 रावत)  
सचिव